संचालनालय, उद्यानिकी एंव प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

फेक्स : 0755–2768159 ई–मेलः dirhort@mp.nic.in

क./उ./सी–4/मौसम आधा./2015–16/ 1698 भोपाल, दिनांकः– 30/06/15

प्रति,

(1) क्षेत्रीय प्रबंधक
एग्रीकलचर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
म0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय–क्वालिटी ग्लोबस, प्रथम तल
एन.एच.–12 मैदा मिल के पास भोपाल।

(2) वरिष्ठ प्रबंधक
इफको टोक्यो, जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी
ई–5/18, प्रथम मंजिल, अरेरा कालोनी
शापिंग काम्पलेक्स विठ्ठल मार्केट भोपाल।

(3) वरिष्ठ प्रबंधक
ग्रामीण कृषि बिजनिस ग्रूप,
एच.डी.एफ.सी.अरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी
वी.एन.सी.प्लाजा, एम.पी.नगर, जोन–2 भोपाल।

(4) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
चोला मण्डलम, जनरल इन्श्योरेन्स
ग्राउण्ड फलोर प्लाट नंबर 7–7 जे.एस.व्ही.टावर
एम.पी.नगर, जोन–1 वार्ड नंबर 47 भोपाल।

(5) क्षेत्रीय प्रबंधक
आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड अलंकार काम्पलेक्स,
द्वितीय मंजिल एम.पी.नगर, जोन–2 भोपाल।

(6) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
टाटा ए.आई.जी, द्वितीय तल
प्लाट नंबर 154, मालवीय नगर,
राज भवन रोड़ भोपाल।

(7) शाखा प्रबंधक
रिलाईन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी
एफ.एफ–16ए मानसरोवर काम्पलेक्स होशगाबाद रोड भोपाल

(8) शाखा प्रबंधक
यूनिवर्शल शोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी
पर्यावास भवन, प्रथम मंजिल ब्लाक क्रं. 4,
अरेरा हिल्स जेल रोड़ भोपाल।

(9) श्री के.जी.कृष्णमुर्ति राव (MD & CEO)
फ्युचर जनरली इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
इंडियाबुल्स फाइनेन्स सेंटर टॉवर–1, 12 एंव 15 मंजिल
सेनापति बापट मार्ग एलफिनस्टोन मुम्बई –400013

(10)शाखा प्रबंधक
एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
टी.टी. नगर न्यू मार्केट भोपाल म.प्र।

(11) शाखा प्रबंधक
बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
प्रगति पेट्रोल पम्प के सामने, एम.पी.नगर जोन–2 के सामने
भोपाल म.प्र।

विषयः– मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2015–16 में लागू करने हेतु नोशनल (दावा भुगतान दर) दरों के आंमत्रण बाबत् ।

उपरोक्त संदर्भ के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उद्यानिकी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फसलों हेतु खरीफ एवं रबी वर्ष 2015–16 में लागू की जाना है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त बीमा कंपनियों से दिये गये प्रारूप में नोशनल (दावा भुगतान दर) दरों के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है इस पत्र के साथ संलग्न मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ एवं रबी वर्ष 2015–16 की 11 टर्मशीट, 1.संतरा 2.केला 3.हरी मटर 4.सब्जी वर्गीय फसलें खरीफ (टमाटर, बैगन एवं प्याज) 5.सब्जी वर्गीय फसलें रबी (टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी एवं प्याज), 6.मिर्च 7.धनियां 8.लहसुन 9.आलू 10.आम 11.पपीता की हस्ताक्षरित टर्मशीट का प्रारूप संलग्न है। इस प्रारूप में ही बंद लिफाफे में प्रस्ताव दिनांक 7.7.15 को अपरान्ह 12 बजें तक संचालनालय उद्यानिकी विभाग में प्रस्तुत करें । पत्र में कंपनियों से दर प्राप्त करने बाबत् दिशा निर्देश भी संलग्न है जिसका अनुपालन अनिवार्य है। कृपया नोशनल (दावा भुगतान दर) दर दिये गये हस्ताक्षरित टर्मशीट के प्रारूप में ही भरकर लावें तथा आवश्यकतानुसार सभी जिलों के लिये प्रारूप की छायाप्रति अपने स्तर पर करा लेवें।

प्राप्त प्रस्तावों को तकनीकी समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 7.7.15 को अपरान्ह 3 बजें बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोलकर निर्णय लिया जायेगा ।

संलग्नः– 1. मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2015–16 की हस्ताक्षरित टर्मशीट
2. बीमा योजना में कंपनियों से दर प्राप्त करने बाबत् दिशा निर्देश.

(एम.एस. धाकड़)

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
भोपाल मध्य प्रदेश

क./उ./सी–4/मौसम आधा./2015–16/ 1699 भोपाल, दिनांकः– 30/06/15

प्रतिलिपि :

1. स्टॉफ आफिस, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एम.एस. धाकड़)

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
भोपाल मध्य प्रदेश

मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2015–16 के लिये बीमा योजना में कंपनियों से दर प्राप्त करने बाबत् दिशा निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत मौसम आधारित बीमा योजना की संलग्न टर्म–शीट अनुसार बीमा कंपनियों से उद्यानिकी फसलों– मिर्च, केला, संतरा, धनियाँ, आलू, टमाटर, बेंगन, फुल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, आम, पपीता एवं हरी मटर हेतु म.प्र के विभिन्न जिलों के लिये दरें प्राप्त की जानी है।

1. इन दरों में विभिन्न परिस्थितियों के लिये टर्म शीट अनुसार बीमा निर्धारित किया गया है:–

i) कम तापमान का प्रभाव।

ii) अधिक तापमान का प्रभाव।

iii) बीमारी अनुकूल मौसम/कीट अनुकुल मौसम।

iv) बेमौसम बारिश/ अधिक बारिश/कम वर्षा/लगातार सूखे के दिन आदि।

v) वायु गति।

2. बीमा कंपनियों से आवरण के दौरान प्रत्येक जिले के लिये पृथक–पृथक नोशनल (दावा भुगतान दर) प्राप्त करना हैं। प्राप्त नोशनलों के आधार पर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।

3. फसलवार टर्म शीट के अनुसार प्रत्येक जोखिम में सांकेतिक नोशनलों हेतु दावा भुगतान दरे प्राप्त करनी है। उदाहरण के लिए किसी जोखिम में सांकेतिक नोशनल I में 1, सांकेतिक नोशनल – II में 1 तथा सांकेतिक नोशनल – III में 1 दर, कुल 3 नोशनल प्राप्त करना है।

4. किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए तकनीकी मापदण्डों से विचलन प्राप्त होने पर उस निविदा प्रस्ताव को अमान्य माना जाएगा। एवं किसी स्ट्राइक, इकाई में विचलन या जोखिम में दी गई बीमा राशि के बराबर नोशनल न देने पर निविदा प्रस्तावों को तुलना के पूर्व ही अमान्य किया जावेगा। अतः सावधानी पूर्वक निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करें एवं संचालक द्वारा हस्ताक्षरित टर्मशीट मे ही नोशनल दर देवें।

DIRECTOR,
Horticulture & Farm Forestry.
M.P. BHOPAL

5. किसी कंपनी द्वारा टर्मशीट में वर्णित किसी जोखिम में सम्पूर्ण भुगतान राशि अंतिम सांकेतिक नोशनल के पूर्व के सांकेतिक नोशनल में अधिकतम दर देकर समाप्त कर देती है, उस स्थिति में जिस सांकेतिक नोशनल में सम्पूर्ण भुगतान राशि समाप्त हो गई है। उस सांकेतिक नोशनल के आगे की नोशनल दरों की तुलना नहीं की जायेंगी अथवा अन्य बीमा कंपनियों की आगे की नोशनल दरें उस जोखिम हेतु अमान्य मानी जावेंगी,क्योंकि यह ऐसी टर्म शीट को कृषक हितेषी जोखिम माना जावेगा।

6. प्रत्येक फसल की टर्म शीट में वर्णित जिलों में से जिन जिलों में कंपनियां नोशनल (दावा भुगतान दर) देना चाहती हैं, उन जिलों की नोशनल फसलवार एवं जिलावार पृथक–पृथक लिफाफे में बंद कर कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी।

7. N.C.I.P गाईड लाईन अनुसार बीमा कंपनी को कार्य के चयन हेतु एक जिले की सभी फसलों के लिए टर्म शीट देना अनिवार्य हैं अन्यथा उस जिलें हेतु बीमा कंपनी का चयन संम्भव नही होगा।

8. प्रत्येक परिस्थिति के लिए सर्वाधिक बीमा देने वाली कंपनी को संपूर्ण 10 अंक प्राप्त होंगे एंव कम बीमा देने वाली कंपनियों को उसी अनुपात में कम अंक दिये जायेंगे, यथा–यदि सर्वाधिक बीमा देने वाली केपनी की नोशनल दर *X* है और विचाराधीन नोशनल दर यदि *Y* है, तो (Y ÷ X) x 10 के अंक होंगे, जो विचाराधीन निविदाकर कंपनी को मिलेंगे। 1 अंक दशमलव के एक बिन्दु तक ही परिगुणित होंगे। दशमलव के दूसरे बिन्दु पर 5 या उससे अधिक अंक होने पर दशमलव के प्रथम बिन्दु का अंक अगले पूर्णांक तक बढ़ाया जायेगा। 5 से कम अंक दशमलव के दूसरे बिन्दु में होने की परिस्थिति में इसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

9. प्रत्येक नोशनल के लिये कंपनियों को 10 अंक पाने की पात्रता होगी। इस तरह सभी परिस्थितियों को जोड़ कर अधिकतम अंक प्राप्त हो सकेंगे।

DIRECTOR,
Horticulture & Farm Forestry,
M.P. BHOPAL

10. इस तरह फसलवार जिलेवार सभी कंपनियों की नोशनल दरों की गणना करने के बाद किसी जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कंपनी की टर्मशीट एवं कंपनी का चयन किया जायेगा।

11. एक जिले की सभी फसलों के लिये एक बीमा कंपनी का चयन करने हेतु फसल क्षेत्राच्छादन के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त कंपनी का चयन किया जावेगा। उदाहरण के लियें एक जिले हेतु प्रत्येक फसल में अधिकतम प्राप्त अंकों को उस फसल के क्षेत्रफल से गुणाकर सभी फसलों में इस तरह प्राप्त अंकों को जोड़कर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली कंपनी का चयन किया जावेगा। क्षेत्राच्छादन का आधार वर्ष 2013–14 के जिलेवार ऑकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2012–13 में जारी आंकड़ों को माना जावेगा।

12. एक समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिन 2 कंपनियों की टर्मशीट के बीच टाई–अप हुआ है, इस परिस्थिति में दोनों कम्पनियों के बीच ड्रा कर निर्णय किया जायेगा।

13. कार्य सुविधा की दृष्टि से एक बीमा कंपनी हेतु जिलों का निर्धारण संचालक के मार्गदर्शन में किया जावेगा। जिससे बीमा कार्य संम्पूर्ण राज्य में शीघ्र एवं व्यवस्थित किया जा सकेगा। साथ ही जिलों में बीमा कार्य का क्रियान्वयन हेतु चयन का अंतिम निर्णय संचालक द्वारा लिया जाएगा ।

इस संबंध में संचालक द्वारा जिलों के निर्धारण के संबंध में लिया गया निर्णय।

इस क्षेत्र में 10 निजी एवं 1 शासकीय कंपनी कार्यरत है। जोखिम को समान रूप से विभाजित करने की दृष्टि से कंपनियों से दर प्राप्त करते समय निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिससे बेहतर नोशनल दर प्राप्त हो, वहीं दूसरी ओर सभी कंपनियों को कार्य दिया जा सके:–

- निविदा प्रस्तुत करते समय कंपनियों को जिलों की प्राथमिकता कमानुसार देनी होगी। प्रारूप संलग्न हैं।

DIRECTOR,
Horticulture & Farm Forestry,
M.P. BHOPAL

- दरों को खोलने के बाद यदि 50 प्रतिशत से अधिक जिले एक ही कंपनी को प्राप्त होते हैं तो उक्त कंपनी द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत जिलों में कार्य दिया जायेगा।
- शेष 50 प्रतिशत जिले सर्वाधिक अंक देने वाली कंपनी की शर्तों पर शेष कंपनियों को दिये जायेंगे।
- प्रथम पेशकश उस कंपनी को की जायेगी, जो सर्वाधिक अंक से कम अंक प्राप्त कर रही है। यदि सर्वाधिक अंक से कम अंक प्राप्त करने वाली कंपनी उक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये इच्छुक नहीं है तो तृतीय स्थान पर अवस्थित कंपनी को पेशकश की जायेगी। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से चतुर्थ एवं उसके नीचे के पायदान पर स्थित कंपनियों को पेशकश की जायेगी।
- उपरोक्त पद्धति से जिस कंपनी को कार्य प्राप्त होता है, उसके द्वारा यदि किसी टर्मशीट में फसल विशेष के लिये बेहतर नोशनल दिया गया है तो उस कंपनी को दिये गये नोशनल के आधार पर बीमा करना होगा।
- यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा दी गई शर्तों पर कोई अन्य कंपनी कार्य करने के लिये इच्छुक नहीं होती है तो सर्वाधिक अंक देने वाली कंपनी के लिये यह अनिवार्य हो जायेगा कि वह उस जिले में फसल बीमा का कार्य करे, भले ही कंपनी द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार 50 प्रतिशत जिलों में उसे कार्य मिल चुका हो।

14. वर्ष 2015–16 में ओलावृष्टि जोखिम को इन्डेक्स प्लस कवर के रूप में बीमित किये जाने वाले कृषको हेतु सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त विधि द्वारा चयनित बीमा कम्पनियों को संबंधित जिलों में ओलावृष्टि आवरण अंतर्गत कृषकों को बीमित करना होगा। जिसकी जोखिम अवधि निम्नानुसार होगी।

क्र.	फसल का नाम	ओला वृष्टि जोखिम चरण अवधि
1	संतरा	1 जनवरी 2016 से 15 अप्रेल 2016
2	मिर्च	1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2016
3	केला	1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2016
4	सब्जी वर्गीय (रबी)	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016

DIRECTOR,
Horticulture & Farm Forestry,
M.P. BHOPAL

5	आलू	1 जनवरी 2016 से 15 अप्रैल 2016
6	हरी मटर	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016
7	धनिया	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016
8	लहसुन	1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016
9	आम	1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2016
10	पपीता	1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2016

- उपरोक्त फसल अन्तर्गत संबंधित फसल की कुल बीमित राशि के 30% की राशि ओलावृष्टि के अन्तर्गत अतिरिक्त बीमित राशि होगी, इस पर 12% की दर से अतिरिक्त प्रीमियम देय होगा।
- अवदा की स्थिति में ओलावृष्टि की लिखित सूचना ई–मेल, वॉटसएप एवं पत्र द्वारा 48 घन्टों के भीतर बीमा कम्पनी को दी जायेंगी, तथा 72 घन्टें के भीतर बीमा कम्पनी संबंधित उद्यान अधिकारी के साथ सर्वे कर क्षतिपूर्ति दावों की प्रकिया प्रांरभ करेगी।

15. केन्द्र सरकार की NCIP गाईड लाईन के अनुरूप चयनीत बीमा कम्पनी को संबंधित जिले में 10 से 15 किलोमीटर की त्रिज्या (Radius) में स्वचलित मौसम केन्द्र स्थापित करने होगें। संदर्भ मौसम केन्द्र जिले में अनुमोदित स्वचालित मौसम केन्द्र के रूप में ही मान्य होगा, तथा बेकअप मौसम केन्द्र के रूप में भारतीय मौसम विभाग का नजदीकी मौसम केन्द्र या नजदीकी स्वचलित मौसम केन्द्र को मान्य किया जाएगा।
16. कंपनियों से यह अपेक्षा है कि फसलवार जिलावार निविदाओं को पृथक–पृथक लिफाफों में बंद कर प्रस्तुत करेंगी।
17. किसी भी परिस्थिति में सारी निविदांए एक लिफाफे में नहीं डाली जायेंगीं। जो कंपनी सफल घोषित होती है, उन्हे बीमा प्रदाय करने के लिए अधिसूचना के 15 दिवस में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। कंपनी द्वारा अनुबन्ध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में चयनित जिला किसी अन्य कंपनी को कार्यअनुभव के आधर पर अधिसूचित करने का निर्णय लिया जावेगा। साथ ही भविष्य में निविदा में भाग लेने के लिये दो वर्ष के लिये कालसात सूची में नाम दर्ज किया जायेगा।

DIRECTOR,
Horticulture & Farm Forestry,
M.P. BHOPAL

18. चयनित बीमा कम्पनी को राज्यांश प्रीमियम की मांग बीमा करने की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर करनी होगी।
19. बीमित कृषको को फसल क्षतिपूर्ति के दावों का भुगतान पॉलिसी समाप्त होने से 45 दिन के भीतर करना होगा।
20 बीमा कम्पनियों को फसल बीमा की जानकारी के संबंध में सूचना/रसीद कृषको को उपलब्ध करानी होगी।
21 बीमा कम्पनियॉ आलू फसल हेतु बीमित राशि रु. 60000.00 पर समस्त जिलों की नोशनल दर देवें। इससे अधिक राशि रु. 100000.00 तक की बीमित राशि के लिए रु. 60000.00 पर दी गई नोशनल दरों के अनुपात में ही गणना होगी।
22 समस्त 51 जिलों में बीमा कम्पनियों द्वारा नोशनल दरें देना अनिवार्य होगा अन्यथा यदि कोई बीमा कम्पनी समस्त जिलों हेतु नोशनल दर नहीं देती है तो उक्त कम्पनी द्वारा दी गई नोशनल दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।
23 एल–1 नोशनल दर की टर्मशीट पर अऋणी कृषकों का बीमा समस्त बीमा कम्पनियों द्वारा किया जा सकता है एवं ऋणी कृषकों का बीमा करने का अधिकार चयनित बीमा कम्पनियों को होगा तथा बीमित कृषकों के दावा भुगतानों का लाभ उन्हें सुनिश्चित रुप से मिले इसका उत्तर दायित्व भी बीमा कम्पनियों का होगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीमा कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
24 चयनीत बीमा कम्पनियों को संबंधित जिले में विकासखण्ड स्तर पर/ग्राम पंचायत स्तर पर जिला कलेक्टर/जिला उद्यानिकी अधिकारी के प्रतिनिधी एवं कृषको के साथ बैठक कर योजना का प्रचार प्रसार किया जाए तथा ग्राम पंचायतों में पोस्टर एवं बैनर लगवाएं जाए। क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रो के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाए।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय संचालक उद्यानिकी का मान्य होगा।

(एम.एस.धाकड़)
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्य प्रदेश भोपाल

मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2015—16

बीमा कंपनी का नाम :—

कमांक	जिले की प्राथमिकता का कम	जिले का नाम
1	पहला	
2	दुसरा	
3	तीसरा	
4	चौथा	
5	पांचवा	
6	छठवां	
7	सातवां	
8	आठवां	
9	नौवां	
10	दसवां	
11	ग्यारवां	
12	बारहवां	
13	तैहरवां	
14	चौथवां	
15	पद्रंहवां	
16	सोलवां	
17	सत्रहवां	
18	अठारवां	
19	उन्नीसवां	
20	बीसवां	
21	इक्कीसवां	
22	बाइसवां	
23	तैइसवां	
24	चौसबीवां	
25	पच्चीसवां	
26	छब्बीसवां	
27	सत्ताईवां	
28	अठ्ठाईसवां	

DIRECTOR, Horticulture & Farm Forestry, M.P. BHOPAL

कमांक	जिले की प्राथमिकता का कम	जिले का नाम
29	उन्नतीसवां	
30	तीसवां	
31	इक्कतीसवां	
32	बत्तीसवां	
33	तैत्तीसवां	
34	चौत्तीसवां	
35	पैत्तीसवां	
36	छत्तीसवां	
37	सेत्तीसवां	
38	अठ्त्तीसवां	
39	उन्चालीसवां	
40	चालीसवां	
41	इक्तालीसवां	
42	बयालिसवां	
43	तिरतालिसवां	
44	चबालिसवां	
45	पैतालीसवां	
46	छियालिसवां	
47	सैत्तालिसवां	
48	अठ्तालिसवां	
49	उन्नचासवां	
50	पांचासवां	
51	इन्कानवां	

DIRECTOR,
Horticulture & Farm Forestry,
M.P. BHOPAL

बीमा कंपनी हस्ताक्षर एवं सील